न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 57/1997
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1 वजीरचन्द पुत्र श्री जमीताराम जाति ओड़ निवासी खानपुर खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. गहलाराम पुत्र श्री बूटाराम (उर्फ वजीरचन्द पुत्र श्री बूटाराम) जाति ओड़ निवासी लाली पो0ओ0 लाली तहसील फतियाबाद जिला हिसार वर्तमान चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)
1/1 छानूराम पुत्र वजीरचन्द जाति ओड निवासी चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
1/2 भगवानदास पुत्र वजीरचन्द जाति ओड निवासी चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
1/3 छानीबाई पुत्री वजीरचन्द जाति ओड निवासी चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
1/4 रूबीबाई पत्नी वजीरचन्द जाति ओड़ निवासी चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. श्री अरविन्द सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

आदेश दिनांक : 29.10.2020

प्रस्तुत शिकायत का सांर है कि 1965 से मजूदी के प्रयोजन से ग्राम खानुपर खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर चलाा गया था इससे पूर्व 1955 से पहले सही ग्राम सुरेशिया तहसील हनुमानगढ में रहता था तथा 1955 काा वोट भी ग्राम सुरेशिया तहसील हनुमानगढ का बना हुआ था तथा मैने भूमि आवंटन हेतु कोई आवेदन नहीं किया ओर ना ही कहीं कोई भूमि आवटन करवाया है। अप्रार्थी जिसका वास्तविक नाम गहनाराम पिता का नाम बुटाराम जाति ओड़ जिसका 1970 से पूर्व का निवास ग्राम लाली पो0ओ0 लार्ली तहसील फतीयाबाद जिला हिसार (हरियाणा) का था ने राजस्थान में आकर तथा अपने रिश्तेदारों से साजवाज करके तथा प्रार्थी के 1955 के वोट का उपयोग करके तथा उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करके एवं उक्त वोट अपने स्वयं का होने का शपथ पत्र देकर चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर में मुरब्बा नम्बर 179/383 के 25.00 बीघा कमाण्ड का अस्थाई आवंटन करवाया तथा अब स्थाई आवंटन करवा लिया है। वास्तव में अप्रार्थी गहनाराम है तथा उसने अपने आपको प्रार्थी का नाम बतलाकर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तथा उसके मत का उपयोग करके धोखाधडी से चक 7 जे.के.एम के मुरब्बा नम्बर 179/383 के 25.00 बीघा का आवंटन करवाया है। वास्तव में वह अपने स्वयं के नाम से भूमि प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से कानूनन हकदार नही था तथा उसने फर्जी दस्तावेजात आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर किए तथा भूमि का आवंटन करवाया है। मेरे नाम से स्वयं को अपने आपको स्थापित किया है तथा मेरे नाम के स्थान पर अपना स्वयं का फोटो भी आवंटन के प्रार्थना पत्र पर लगाया है जबकि उक्त अप्रार्थी गहनाराम को अच्छी तरह से पता था कि वह स्वयं वजीरचंद नहीं है किन्तु यह जानते हुए भी उसने अपने आपको वजीरचन्द के रूप में साक्ष्य एवं कुटरचित दस्तावेजात पेश करके चक 7 जे.के.एम.के मुरब्बा नम्बर 179/383 के 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि का स्थाई आवंटन करवाया है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत् नहीं है। वर्ष 1970 से उक्त भूमि से अप्रार्थी गहनाराम अनुचित रूप से लाभाविन्त हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर निवेदन है कि अप्रार्थी गहनाराम पुत्र बुटाराम जाति ओड़ निवासी लाली तहसील फतीयाबाद द्वारा जो आवंटन वजीरचन्द पुत्र श्री जमीताराम बन कर एवं ग्राम सुरेशिया जिला हनुमानगढ के प्रार्थी के 1955 के वोट का उपयोग करके चक 7 जे.के.एम. की भूमि का आवंटन करवाया है वह तुरन्त खारिज की जावें एवं जब तक खारिज की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती तब तक उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावें।

पत्रावली का संधारण दिनांक 04.09.1990 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 26.06.1997 से कार्य विभाजन होने पर पत्रावली जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के न्यायलय में दर्ज हुई। आदेशिका दिनांक 15.12.1997 से जिला कलक्टर महोदय के आदेश 15.12.1997 की पालना में पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर न्यायालय में हस्तांतरित की गई। दिनांक 15.12.1997 की आदेशिका में अंकित है कि "आज यह पत्रावली जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पेशी में ली गई।

जिला कलक्टर ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 15.12.1997 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांकःभू0अ0/98/2725 दिनांक 25.07.1998 से अवगत करवाया कि मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी चक 7 जे.के.एम. मुरब्बा नम्बर 179/383 में 24.00 बीघा रकबा की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

1. श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन रायसिंहनगर मु0 सूरतगढ के आदेश मि.न.477/75 निर्णय दिनांक 20.11.1976 के अनुपालन में श्रीवजीरचन्द वल्द जमीतराम कौम ओड़ साकिन देह का चक 7 जे.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 179/383 में 24.00 बीघा पुख्ता आवंटन करवाया गया है।
2. श्री वजीरचन्द आवंटी फौत हो चुका है इसके वारिसान छानूराम , भगवानदास पिसारान वजीरचन्द व छानीबाई पुत्र वजीचन्द साकिन 7 जेकेएम के नाम से उक्त भूमि है।
3. इस भी पर वजीरचन्द के वारिस छानूराम वगैरा का कब्जा काश्त है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

4. आवंटी वजीरचन्द के पास उक्त भूमि के अलावा भूमि नहीं है। आवंटी केवारिस छानूराम के नाम से चक 7 जे.के.एम. में 24.10 बीघा कमाण्ड आवंटन है एवं भगवानदास के नाम से 24.10 बीघा भूमि कमाण्ड आवंटन थी जिस में से 15.00 बीघा का बेचान कर दिया है। शेष 9.10 बीघा श्री भगवानदास के पास है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नही है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की शिकायतकर्ता फतीयाबाद हरियाणा का निवासी हो। आवंटन पत्रावली 1073/74 अनवानी वजीरचन्द पुत्र जीमयतराम जाति ओड़ में भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जिससे प्रमाणित होता हो की वजीरचन्द राजस्थान का निवासी न होकर फतीयाबाद हरियाणा का निवासी हो। अप्रार्थी वजीर चन्द 25 बीघा भूमि आवंटन करवाने का पात्र है। अतः शिकायत सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन रायसिंहनगर मु0 सूरतगढ के आदेश मि.न.477/75 निर्णय दिनांक 20.11.1976 के अनुपालन में श्रीवजीरचन्द वल्द जमीतराम कौम ओड़ साकिन देह का चक 7 जे.के.एम. के मुरब्बा नम्बर 179/383 में 24.00 बीघा पुख्ता आवंटन किया गया है जिसमें अतिरिक्त सहायक उपनिवेशन आयुक्त (याचिका) राजस्थान नहर योजना, बीकनेर ने रिपोर्ट की है कि वजीरचन्द पुत्र जीमयतराम का नाम निर्वाचक सुची 1955 ग्राम फजलदीनवाला सरेशिया (74) हनुमानगढ जिला श्रीगंगानगर के नाम निम्नानुसार दर्ज है।

आवंटी वजीरचन्द को चक 7 जे.के.एम की मु.नं. 179/383 की 24.00 बीघा भूमि वर्ष 1976 में दिनांक 20.11.1976 आवंटित हुई। आवंटी के पास इस भूमि के अलावा कोई भूमि नहीं है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है। फलस्वरूप इसकी सनद 078162 दिनांक 12.12.1996 जिला कार्यालय से जारी हुई। इन तथ्यो की पुष्टि तहसीलदार रायसिंहनगर 3639 दिनांक 26.12.1996 से होती है। आवंटी आवंटन की अधिकतम सीमा में ही शुमार होकर आवंटन का पात्र है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत शिकायत/आवेदन सदभाविक नहीं है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन और सुदीर्घ अवधि और आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल जाने पश्चात होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((डा. गुंजन सोनी))
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner